

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.४(ग)( )नियम/ डीएलबी/ 17/ ३६४३५

जयपुर, दिनांक: ०९/११/१७

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 एवं 332 में किये गये संशोधन दिनांक 18.05.2017 से प्रभावी हो गये हैं।

अतएव अधिनियम, 2009 की उक्त धाराओं के संशोधित प्रावधानों के तहत धारा 49 एवं 332 संपर्कित धारा 337 के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये जाते हैं कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सभापति/महापौर को नगरीय निकायों के वित्तीय और प्रशासनिक नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.४(ग)( )नियम/ डीएलबी/ 2017/ ३६४३५- ३६८९० दिनांक: ०९/११/१७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगरनिगम / परिषद / पालिकायें राजस्थान।
05. आयुक्त / अधिकारी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें राजस्थान।
06. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
07. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
08. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
09. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज० जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी